बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
::आदेश::

पटना, दिनांक 16/04/26

संचिका संख्या–07/मु0–01–510/2025–1330/ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–19843/2025 झड़ी लाल बोसाक बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–09.12.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में यह आदेश निर्गत किया जा रहा है।

2. सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0–19843/2025 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–09.12.2025 को पारित आदेश की कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"...Considering the aforesaid, the petitioner is directed to file a detailed representation along with all supporting documents before respondent no.3. Upon receipt of such representation, respondent no. 3 shall adjudicate the claim of the petitioner within a period of six weeks from the date of submission of the representation. If, upon adjudication, the claim of the petitioner is found to be genuine, the consequential benefits shall be extended to him within a further period of four weeks thereafter."

3 .उक्त पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए दिनांक–06.04.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई निर्धारित की गयी। जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. याचिकाकर्ता का कथन है कि मेरी नियुक्ति दिनांक–01–04–1985 को मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान के रूप में तथा सेवानिवृति दिनांक 30–09–2014 को हुआ। मुझे राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों की भांति लगातार संतोषजनक सेवा पूर्ण होने के पश्चात तृतीय MACP-2010 योजना का लाभ के साथ ही बकाया राशि का भुगतान किया जाय। साथ ही याचिकाकर्ता का यह भी कथन है कि लेवल–08 (ग्रेड पे–4800) के चार साल के सेवा के पश्चात उन्हें केन्द्रीय कर्मियों कि भांति लेवल–09 (ग्रेड पे–5400) में प्रोन्नति दी जाय।

5. अंकनीय है कि विभागीय संकल्प सं0 1071 दिनांक 07.10.2021 में वर्णित राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कर्यरत/सेवानिवृत एवं मृत शिक्षकों को राज्य वेतन आयोग

की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों की भांति MACP-2010 के योजना अंतर्गत आच्छादित किया गया है। MACPS दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी है जिसके तहत 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है।

6. विभागीय आदेश ज्ञापांक 1064 दिनांक 14.09.2022 के कंडिका–2 (iii) में वैसे शिक्षक जिनकी 30 वर्षो की सेवा दिनांक 01.09.2011 के पूर्व पूरी हो गई हो और उन्हें प्रवरण वेतनमान/द्वितीय उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 01.09.2011 को दी गई है, उन्हें दिनांक 01. 09.2009 अथवा उसके बाद 30 वर्ष पूरी होने की तिथि से MACP के लिए अनुमान्य ग्रेड–पे में तृतीय MACP का वैचारिक एवं दिनांक 01.09.2011 की तिथि से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा।

7. जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज के ज्ञापांक–928 दिनांक–27.10.2023 द्वारा विभागीय संकल्प सं–1071 दिनांक–07.10.2021 एवं आदेश ज्ञापांक–1064 दिनांक–14.09.2022 में वर्णित राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत एवं मृत शिक्षकों को राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यकर्मियों की भांती MACPS 2010 के योजना के अंतर्गत मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों को 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षो की लगातार संतोष सेवा पूर्ण होने के पश्चात् प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय MACPS 2010 के योजना का लाभ दिया गया है। जिसमें क्रम सं0 73 पर श्री झडी लाल बोसाक, उ0 म0 वि0, महलवारी, किशनगंज का नाम अंकित है परन्तु उक्त लाभ से वंचित किया गया है।

8. वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जिससे ज्ञात होता है कि याचिकाकर्ता की कुल सेवा अवधि 29 वर्ष 6 महिना है जो तृतीय MACP का लाभ प्राप्त करने के 30 वर्ष के अवधि को पूर्ण नहीं करता है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में वादी के दावे को अस्वीकृत करते हुए मामले को निस्तारित किया जाता है।

(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–510 / 2025...1330 पटना, दिनांक ...16/04/26

प्रतिलिपिः– 1. Jhari Lal Bosak Son of Late Kashi Nath Bosak, resident of Village-Dilawarganj, P.O., P.S. and District-Kishanganj.

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–07 / मु0–01–510 / 2025...1330 पटना, दिनांक ...16/04/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।